पी-13013/95/2023-यूडीआईडी/आईटी/ सांख्यिकी (भाग 1)
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दिनांक: 20 नवंबर, 2025

मानक संचालन प्रक्रिया : UDID पोर्टल पर दिव्यांग आवेदकों के लिए e-KYC प्रक्रिया

□ **चरण 1: UDID पोर्टल पर लॉगिन करें**

दिव्यांग आवेदक को सबसे पहले अपने **एनरोलमेंट नंबर (नामांकन संख्या)/ UDID नंबर** और **जन्म तिथि (DOB) का** इस्तेमाल करके UDID पोर्टल पर लॉगिन करना होगा ।

□ **चरण 2: "Update E-KYC" पर जाएं**

सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आवेदक को बाईं ओर Dashboard Menu पर उपलब्ध **"Update E-KYC" मॉड्यूल पर जाना होगा।**

□ **चरण 3: आधार नंबर डिस्प्ले / एंट्री**

अपडेट E-KYC स्क्रीन पर :

- यदि आधार नंबर पहले से मौजूद है, तो वह स्क्रीन पर स्वतः दिख जाएगा।
- यदि आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को अपना वैध आधार नंबर खुद डालना होगा।

e-KYC उद्देश्यों के लिए, आवेदक को अपना आधार विवरण साझा करने हेतु UIDAI को प्राधिकृत करते हुए चेकबॉक्स पर भी टिक करना होगा ।

□ **चरण 4: OTP जेनरेट करें**

इसके बाद आवेदक को **"Generate OTP"** बटन पर क्लिक करना होगा।

□ **चरण 5: OTP डिलीवरी**

आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP **भेजा जाएगा** ।

□ **चरण 6: OTP डालें और सत्यापित करें**

आवेदक को:

- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का OTP डालना होगा।
- आगे बढ़ने के लिए **"Verify OTP" बटन** पर क्लिक करना होगा।

□ **चरण 7: सफलतापूर्वक e-KYC का सत्यापन**

OTP सत्यापन होने और सभी शर्तें पूरी होने पर, सिस्टम पर कन्फ़र्मेशन मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें बताया जाएगा कि:

□ **"आधार e-KYC -सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है।"**

इससे यह पुष्टि की जाती है कि e-KYC प्रक्रिया पूरी हो गई है।

□ **अंतिम परिणाम**

e-KYC सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद:

- आवेदक का विवरण आधार के अनुसार अपडेट कर दिया जाता हैं।
- यदि लागू हो, तो आवेदक अपना अपडेटेड UDID कार्ड या दिव्यांगता प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

□ **नोट:**

- सुनिश्चित करें कि आधार नंबर की प्रविष्टि सही से की गई है और यह सक्रिय है।
- OTP प्राप्त करने के लिए आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर कार्यात्मक होना चाहिए।
- OTP सत्यापन के बिना, e-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है।

मनीष

(मनीष कुमार मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार